

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 1921/1884/2017/ई/चार,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/08/2017


1. अपर मुख्य सचिव  
योजना एवं सांख्यिकी/अनुसूचित जाति कल्याण,
2. प्रमुख सचिव  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/महिला एवं बाल विकास/  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन/नगरीय विकास एवं पर्यावरण/  
अनुसूचित जनजाति कल्याण/खाद् नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/पिछड़ा  
वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण तथा स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।

विषय:- डी.बी.टी.(प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) हेतु स्टेट एडवायजरी ग्रुप फार तथा स्टेट  
डी.बी.टी.कार्डिनेटर के नामांकन बावत्।

-----0-----

उपरोक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-46/  
2017/1/4,दिनांक 11.7.2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं की  
मानिट्रिंग हेतु प्रारंभ किये गये डी.बी.टी. (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के अंतर्गत सभी केन्द्र  
प्रवर्तित,केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं से संबंधित जानकारियों को सम्मिलित किया गया है।  
योजनाओं से संबंधित डी.बी.टी.(प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) प्रगति तथा मासिक जानकारी प्रत्येक  
माह डी.बी.टी. पोर्टल पर अपडेट किये जाने हेतु स्टेट एडवाइजरी ग्रुप फॉर डी.बी.टी. का  
गठन एवं आदेश दिनांक 12.7.2017 द्वारा आयुक्त संस्थागत वित्त को स्टेट डी.बी.टी.  
कार्डिनेटर नामांकित किया गया है, की छायाप्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित  
है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
( विजय कठाने )  
अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 11/08/2017

पृ.क्रमांक 1922/1884/2017/ई/चार,  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव,वित्त के निज सचिव,
2. आयुक्त कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल,

3. विश्व बैंक प्रतिनिधि/पोस्टल प्रतिलिपि/राज्य स्तरीय बैंक कमेटी प्रतिनिधि एवं एनआईसी प्रतिनिधि/बीएसएनएल प्रतिनिधि
4. प्रबंधक संचालक,एस.ई.डी.सी.
5. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,
6. आयुक्त संस्थागत,वित्त मध्यप्रदेश भोपाल,  
की ओर सूचनार्थ।

  
अवर/सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 11 जुलाई, 2017

क्रमांक एफ 19-46/2017/1/4 :: भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं की मानीटरिंग हेतु प्रारंभ किए गए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के अंतर्गत सभी केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं से संबंधित जानकारी को सम्मिलित किया गया है। योजनाओं से संबंधित डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) की प्रगति तथा मासिक जानकारी प्रत्येक माह डीबीटी पोर्टल पर अपडेट की जानी है। राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार स्टेट एडवाइजरी ग्रुप फार डीबीटी का गठन करता है :-

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1  | अपर मुख्य सचिव, म प्र शासन, वित्त विभाग  | अध्यक्ष    |
| 2  | अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, योजना एवं सांख्यिकी विभाग   | सदस्य      |
| 3  | अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  | सदस्य      |
| 4  | प्रमुख सचिव, मप्र शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  | सदस्य      |
| 5  | प्रमुख सचिव, मप्र शासन, महिला बाल विकास विभाग  | सदस्य      |
| 6  | प्रमुख सचिव, मप्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  | सदस्य      |
| 7  | प्रमुख सचिव, मप्र शासन, पशुपालन विभाग  | सदस्य      |
| 8  | प्रमुख सचिव, मप्र शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग   | सदस्य      |
| 9  | प्रमुख सचिव, मप्र शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग   | सदस्य      |
| 10 | प्रमुख सचिव, मप्र शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  | सदस्य      |
| 11 | प्रमुख सचिव, मप्र शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग   | सदस्य      |
| 12 | प्रमुख सचिव/सचिव मप्र शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग   | सदस्य      |
| 13 | प्रमुख सचिव/सचिव, मप्र शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  | सदस्य      |
| 14 | प्रमुख सचिव/सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  | सदस्य      |
| 15 | प्रबंध संचालक एसईडीसी  | सदस्य      |
| 16 | गिश्व बैंक प्रतिनिधि/पोस्टल प्रतिनिधि/राज्य स्तरीय बैंक कमेटी प्रतिनिधि/एनआईसी प्रतिनिधि/बीएसएनएल प्रतिनिधि/एनपीसीआई प्रतिनिधि | सदस्य      |
| 17 | आयुक्त संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश  | सदस्य सचिव |

एडवाइजरी ग्रुप आवश्यकता अनुसार किसी भी अन्य अधिकारी/अधिकारियों को मीटिंग में विचार विमर्श हेतु आमंत्रित कर सकता है।

निरंतर 2

2/ स्टेट एडवाइजरी ग्रुप फार डीबीटी के निम्नांकित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाते हैं:-

- 1- भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से समन्वय करना, डीबीटी की मॉनीटरिंग करना।
- 2- राज्य सरकार के विभागों/एंजेसी/स्टेक हॉल्डर के साथ समन्वय करना पीएफएमएस/बैंक/टेलीकॉम/आईटी/एडीबी/रीप्रजेन्टेटीव ऑफ वर्ल्ड बैंक।
- 3- योजना लागू करने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान एवं उन्हें दूर करने के उपाय।
- 4- स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यूनिट हेतु कार्यालय, मानव संसाधन एवं संचालक हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना एवं उनके कार्यों की समीक्षा करना।
- 5- प्रत्येक विभाग डी.बी.टी. के क्रियान्वयन हेतु Implementation Support तैयार करेंगे।
- 6- राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर अन्य आवंटित कार्य।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( श्याम बाई धुर्वे )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 19-46/2017/1/4

भोपाल दिनांक 11 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
  2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
  3. सचिव, वित्त विभाग की ओर जारी आदेश के साथ नस्ती सहित।
  4. शासन के समस्त विभाग
  5. समस्त विभागाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
  6. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

10/7/2017

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 12 जुलाई, 2017

क्रमांक एफ 19-46/2017/1/4 :: भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं की मानीटरिंग हेतु प्रारंभ किए गए DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के अंतर्गत सभी केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं से संबंधित जानकारी को सम्मिलित किया गया है। योजनाओं से संबंधित DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) की प्रगति तथा मासिक जानकारी प्रत्येक माह DBT Portal पर अपडेट की जानी है।

भारत सरकार की गाईड लाइन के अनुसार विभागों से समन्वय के लिये राज्य शासन एतद् द्वारा आयुक्त संस्थागत वित्त को स्टेट डीवीटी कॉर्डिनेटर नामांकित करता है।

समस्त विभाग डीवीटी लक्ष्य निर्धारण, समय-सीमा निर्धारण, रणनीति बनाने तथा केन्द्र से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु स्टेट डीवीटी कॉर्डिनेटर के सहयोग एवं समन्वय से करेंगे।


मध्यप्रदेश के राज्याफल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
( रघुनाथ चौधरी धूर्त )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 19-46/2017/1/4

भोपाल दिनांक 12 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
  2. शासन के समस्त विभाग
  3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
  4. समस्त विभागाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
  5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।
- की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

12/7/2017